चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : ar.affiliation@ccsuniversity.ac.in NAAC A++ Website : www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांकः—सम्बद्धता /2074/2026—27 दिनांक : ~~14~~.08.2026 17.

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / सचिव
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

महोदय / महोदया,

कृपया कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी (अपर मुख्य सचिव स्तर), राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्याः— ई—5572 / 32—जी.एस. / 2025 दिनांक 13 अगस्त, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो कि विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थानों में युवाओं को स्वावलंबी व रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि आप अपने—अपने महाविद्यालय / संस्थानों / परिसर में विशेष कार्याधिकारी, (अपर मुख्य सचिव स्तर), राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

17/8/26

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रो0 हरे कृष्ण, आचार्य, सांख्यकी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
03. प्रभारी प्रैस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
04. प्रभारी विश्वविद्यालय बेवसाइट चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुलसचिव

ई–मेल

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027

संख्याः ई– 5572 /32–जी.एस./2025

दिनांकः 13 अगस्त, 2026

प्रेषकः

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी,
(अपर मुख्य सचिव स्तर), उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया जी के निर्देशानुसार समस्त राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में युवाओं को स्वावलंबी व रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाना है।

2. उक्त के संबंध में माननीय कुलाधिपति महोदया ने समस्त राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों को उनके यहां खाली पड़े शैक्षणिक भवनों तथा उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए कम से कम 500 ऐसे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ दी, लेकिन हुनर सीखकर रोजगार या स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं।

3. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान को प्रतिवर्ष कुल 500 संभागियों (महिला एवं पुरुष) को विभिन्न रोजगारपरक विधाओं में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है।

4. इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया द्वारा प्रस्तर–2 में दिए गए दिशा–निर्देशों एवं मानकों के अनुसार अपने विश्वविद्यालय/संस्थान में उक्त कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की त्वरित रूपरेखा तैयार कर इसे यथाशीघ्र प्रारंभ करने का कष्ट करें, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सके।

भवदीय,

13/8/26

(डॉ. सुधीर एम. बोबडे)
भा.प्र.से.(से.नि.)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
(अपर मुख्य सचिव स्तर)